

- xiv.** परित्यक्ता/विवाह विच्छिन श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का माननीय न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद की डिक्री/आदेश प्रस्तुत करने पर ही इस श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।
- xv.** शासन के परिपत्र क्रमांक पं.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह-पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है अतः इस संबंध में विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना वांछनीय है।
- xvi.** विवाहित महिलाओं के लिये संतान संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है और परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- xvii.** अभ्यर्थी को अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र यथा समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें चरित्र के संबंध में कम से कम "अच्छा" का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य है।
- xviii.** अभ्यर्थी को चयन उपरान्त आचरण संबंधी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जिसमें आवेदक के विरुद्ध ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। किसी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प(1)कार्मिक/क-2/2016 दिनांक 04.12.2019 के प्रावधानुसार अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण किया जायेगा।
- xix.** अभ्यर्थी को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जांच संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र यथासमय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिये पूर्णतः उपयुक्त है।
- xx.** ऐसे आवेदक जो पहले से राजकीय सेवा में हो, या राजकीय औद्योगिक उपक्रमों में हो, या किसी प्रकार के अन्य संगठनों में हो, या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो, उन्हें नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जो आवेदक पहले से ही राजकीय सेवा/उक्त उपक्रमों में कार्यरत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता को इस भर्ती हेतु आवेदन करने की लिखित सूचना दी जाकर अनापत्ति प्राप्त कर लेना चाहिये। संबंधित नियुक्ति अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को पूर्व सेवा से त्याग-पत्र देकर नव-नियुक्ति के समय त्याग-पत्र स्वीकार करने सम्बन्धी आदेश प्रस्तुत करना होगा।
- xxi.** उक्त प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक तक के जारी होने अनिवार्य है, ऑनलाईन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक के पश्चात का प्रमाण पत्र होने पर वर्ग विशेष का लाभ देय नहीं होगा।
- xxii.** आवेदको द्वारा ऑनलाईन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता जांच, परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के उपरांत दस्तावेज सत्यापन के समय की जायेगी, अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच के समय पात्र नहीं पाये जाने पर वह अभ्यर्थी अपात्र माना जायेगा, जानबूझ कर गलत सूचना भरे जाने की स्थिति में आवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
- 21. आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम:**—आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचना सही-सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध बोर्ड/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम 2022 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination" तथा "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 6) एवं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) संशोधन अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 17) के प्रावधानों के तहत यथा वर्णित किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने या उनका सहारा लेने, अनाधिकृत प्रवेश, प्रश्न-पत्र का कब्जा व प्रकटीकरण तथा संबंधित अपराधों के लिए कठोर कानून का प्रावधान किया गया है। अनुचित साधनों में लिप्त परीक्षार्थी के लिए तीन वर्ष तक के कठोर कारावास एवं रुपये 1,00,000/- (अक्षरे एक लाख) न्यूनतम जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं। परीक्षार्थी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा षड्यंत्र या अधिनियम वर्णित अनुचित साधनों में लिप्त होने पर या दुष्प्रेरित करने पर न्यूनतम दस वर्ष के कारावास जो कि आजीवन तक हो सकता है एवं न्यूनतम रुपये 10,00,000/- (अक्षरे दस लाख) का जुर्माना जो कि दस करोड़ तक हो सकता है, के दण्डित करने के प्रावधान किए गए हैं। दोष सिद्धि पर दो वर्ष की कालावधि के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं। उपरोक्त अधिनियम की विहित अनुसार कठोर पालना सुनिश्चित की जाएगी।

22. ग्राम विकास अधिकारी के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम :-

परीक्षा की स्कीम

Signature Not Verified

Digitally signed by Abha Beniwal
Designation : Officer On Special
Duty
Date: 2025.06.16 18:09:12 IST
Reason: Approved

प्रश्न-पत्र	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	समय
(1) भाषा ज्ञान (सामान्य हिन्दी, अंग्रेजी)	160	200	03:00 घंटे
(2) गणित			
(3) सामान्य ज्ञान			
(4) भूगोल और प्राकृतिक संसाधन			
(5) राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन			
(6) राजस्थान का इतिहास और संस्कृति			
(7) बेसिक कम्प्यूटर			

नोट:—

- सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे।
- किसी प्रश्न विशेष के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी के प्राप्तांकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का एक तिहाई अंक (1/3) काटा जाएगा।

पाठ्यक्रम (syllabus)

(1) भाषा ज्ञान - अंक -50 (अ) सामान्य हिन्दी -अंक-30 संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग प्रत्यय, पर्यावाची तथा विलोम शब्द, शब्द-युग्म का अर्थभेद, एक वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य-शुद्धि. महावारे, लोकोक्तियां, पारिभाषिक शब्दावली । (ब) अंग्रेजी- अंक -20 Questions based on Grammar (Sr. Secondary Exam level) Questions (Multipurpose choice) based on Paragraph
(2) गणित - अंक -30 दशमलव एवं भिन्न, प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात, औसत, व्याज, लाभ-हानि, छूट परिमिति, समय एवं दूरी, अनुपात एवं समय, साझा, किश्तों में भुगतान, चक्रवृद्धि व्याज, वृद्धि एवं हास दर, बहुपद के गुणन खण्ड, बहुपदों के महत्तम, समापवर्तक एवं लघुतम समापवर्त्य, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, केन्द्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, चतुर्भुज, वृत्त, चाप और उसके द्वारा अन्तर्लित कोण, ज्यामितीय रचनाएँ ।
(3) सामान्य ज्ञान - अंक -20 (अ) सम सामयिक घटनायें- अंक 10 अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर प्रमुख सम सामयिक मुद्दे एवं घटनायें तथा उनसे संबंधित संगठन, संस्थायें एवं व्यक्तित्व। (ब) सामान्य विज्ञान- अंक 10 सामान्य विज्ञान के ये प्रश्न जो दिन प्रतिदिन के अनुभवों और विश्लेषणों पर आधारित हों और जिनसे विज्ञान की समझ और परख होती हों । इन प्रश्नों में ऐसे प्रश्न भी शामिल होंगे जिससे परीक्षार्थी की इलेक्ट्रॉनिक्स, दूर संचार, सेटेलाइट, और उसी प्रकार के दूसरे मुद्दों पर ज्ञान की परख की जा सके ।
(4) भूगोल और प्राकृतिक संसाधन अंक-30 1.संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियां, पहाड़, महाद्वीप 2. भारत का पर्यावरण व वन्य जीवन, पारिस्थितिकी (इकोलॉजी) 3. राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, मौसम, वनस्पति, मिट्टी के प्रकार, भौगोलिक क्षेत्र, मानव संसाधन, जनसंख्या की समस्याये, बेरोजगारी, गरीबी, अकाल व सूखा, बढ़ता हुआ रेगिस्तान, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन- खनिज व खान, वन, भूमि, पानी, पशु राम्पदा, वन्य जीवन एवं वन संरक्षण, उर्जा समस्यायें, उर्जा के परम्परागत एवं गैर परम्परागत स्रोत ।
(5) राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक विकास-अंक- 30 राजस्थान की खाद्य व व्यावसायिक फसले, कृषि आधारित उद्योग, वृहद सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनायें, बंजड भूमि व सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाये, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, उद्योगों का विकास व उनका स्थान, कच्चीसामग्री पर आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु एवं ग्रामोद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थानी हस्तकला, आदिवासी और उनकी अर्थ व्यवस्था, विभिन्न आर्थिक योजनाये, विकास संस्थाये, सहकारी आन-दोलन, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थायें, संविधान के 73 वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका ।
(6) राजस्थान संस्कृति व राजस्थान इतिहास -अंक- 30 राजस्थान के इतिहास व संस्कृति विशेष के सन्दर्भ में: (i) मध्यकालीन पृष्ठभूमि (ii) सामाजिक आर्थिक जीवन व संगठन (iii) स्वतंत्रता आन्दोलन व राजनैतिक जाग्रति (iv) राजनैतिक एकता (v) बोलियों व साहित्य (vi) संगीत, नृत्य व नाटक (vii) धार्मिक विश्वास, लोक परम्परा, संत, कवि, वीर पुरुष, लोक देवता व लोक देविया (viii) हस्तकला (ix) मेले व त्यौहार, रीति रिवाज, पोषाक, आभूषण, विशेषतया आदिवासी व जनजाति के सन्दर्भ में ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abha Beniwal
Designation : Officer On Special
Duty
Date: 2025.06.16 18:09:12 IST
Reason: Approved

(7). Basic Computer – अंक - 10

- (i) Characteristics of Computers.
(ii) Computer Organization including RAM, ROM, File System, Input Devices, Computer Software-
(iii) Relationship between Hardware & Software.
(iii) Operating System
(iv) MS-Office (Exposure of word, Excel/Spread Sheet, Power Point)

बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी से पुष्टि करवाये जाने हेतु ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक में पाँचवा विकल्प के संबंध में निम्नलिखित विशेष निर्देश लागू किये गये हैं :-

1. प्रत्येक प्रश्न के 05 विकल्प A, B, C, D, E. अंकित रहेंगे। उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोल उत्तरपुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा।

Each question has five options marked as A, B, C, D, E. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.

2. प्रत्येक प्रश्न के लिये विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा।

It is mandatory to fill only one of the options for each question.

3. यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिये पाँचवा विकल्प E को गोला गहरा करना होगा। यदि पाँचों विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10 प्रतिशत प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाये जावेंगे।

If you are not attempting a question then you have to darken the circle 'E'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.

4. प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जावेगा।

After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the question. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.

5. जिस अभ्यर्थी द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों को किन्हीं पाँच गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य किया जावेगा।

A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% question shall be disqualified.

6. अभ्यर्थी को उत्तर पत्रक (ओएमआर) की कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति है, उसे परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखनी होगी तथा बोर्ड द्वारा जब भी मांगी जाये उसे प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा नही करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।

Candidate are advised to keep the carbon copy of the OMR sheet safely in their custody til completion of the final result declaration process and produce before the Board whenever asked for. In case of noncompliance action can be initiated against the candidate.

23. बोर्ड की वेबसाइट:-अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर-302018 को सम्बोधित किया जायेगा। अभ्यर्थी बोर्ड की भर्तियों से संबंधित अपनी परिवेदना/प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र में ई-मेल आई. डी. PG.RSSB@RAJASTHAN.GOV.IN पर प्रेषित करें।

सचिव

प.14(153)RSSB/अर्थना/प.रा.वि./VDO/ भर्ती/2025/

दिनांक: ई-हस्ताक्षरानुसार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर को बोर्ड का विज्ञापन संख्या 03/2025 प.14(153)RSSB/अर्थना/प.रा.वि./VDO/भर्ती/2025/ दिनांक.....की प्रतियां प्रेषित करते हुए राजस्थान रोजगार सन्देश, जयपुर के आगामी अंक में विस्तृत विज्ञापन केवल एक बार प्रकाशित कराने हेतु प्रकाशनार्थ हेतु भेजा जा रहा है। उक्त समाचार पत्र के विज्ञापन प्रबन्धक से भी अनुरोध है कि बोर्ड का विज्ञापन नवीनतम संस्करण में प्रकाशित करें। साथ ही यह भी अनुरोध किया जाता है कि प्रकाशित विज्ञापन कटिंग की एक प्रति (निःशुल्क) निम्नलिखित पते पर सीधे ही भेजें ताकि प्रकाशित विषय सामग्री की सत्यता की जांच की जा सके। अर्थना अनुभाग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018
- शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ।
- शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को पत्र क्रमांक:-एफ.28(0)परावि/प्रशा.2/ग्रा.वि.अ./भर्ती/24-47671/ दिनांक 02.06.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- सचिव, राजस्थान विधानसभा जयपुर।
- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राज कॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड (आर.आई.एस.एल) प्रथम तल सी ब्लॉक, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर-302005 से अनुरोध है कि विस्तृत विज्ञापन को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करें।
- प्रभारी अधिकारी, आई.टी. अनुभाग, RSSB, जयपुर को विज्ञापन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

Signature Not Verified

सचिव

Digitally signed by Abha Beniwal
Designation : Officer On Special
Duty

Date: 2025.06.16 18:09:12 IST
Reason: Approved

VDO-2025

Page | 21